न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बासवाडा
प्रकरण सख्या : 17 / 2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020 / 00047

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

जेम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि. पंजीकृत कार्यालय 102 कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री अरुण कुमार व्यास पिता श्री मनोहरलाल व्यास निवासी वार्ड नं.11, वैष्णव मोहल्ला, गॉव व पो.घाटोल जिला बॉसवाडा। (ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्री यतिष व्यास पुत्र श्री अरुण व्यास निवासी वार्ड नं.11, वैष्णव मोहल्ला, गॉव व पो.घाटोल जिला बॉसवाडा। (सह ऋणी)
3. श्रीमती चन्द्र लेखा उपाध्याय पत्नि श्री दीपक उपाध्याय निवासी 58, 03, आलोक स्कुल के पिछे, खान्दु कोलोनी बॉसवाडा। (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 21.12.2020

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., पंजीकृत कार्यालय 102 कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री अरुण कुमार व्यास पिता श्री मनोहरलाल व्यास निवासी वार्ड नं.11, वैष्णव मोहल्ला, गॉव व पो.घाटोल जिला बॉसवाडा (ऋणी व बधककर्ता) 2– श्री यतिष व्यास पुत्र श्री अरुण व्यास निवासी वार्ड नं. 11, वैष्णव मोहल्ला, गॉव व पो.घाटोल जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) एवं 3 श्रीमती चन्द्र लेखा उपाध्याय पत्नि श्री दीपक उपाध्याय निवासी 58, 03, आलोक स्कुल के पिछे, खान्दु कोलोनी बॉसवाडा (जमानती) को दिनांक 31.01.2018 को राशि रुपया 1500000 (पंद्रह लाख) का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 09-11-2019 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 1400900 रु. (चौदह लाख नौ सौ मात्र) एवं तत्पश्चात ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री अरुण कुमार व्यास पिता श्री मनोहरलाल व्यास की आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम व पोस्ट घाटोल, तहसील घाटोल व जिला बासवाड़ा पर स्थित है, माप में 2500 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढाचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में गुगली रोड, दक्षिण में हीरा बाई सुथार की भूमि, पूर्व में हजारी मल का प्लॉट, पश्चिम में देगिया भैरव की वर्तमान सडक, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी / गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.22 17:17:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रार्थी Non-Banking financial institution Jumbo finvest (india) Ltd. को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण मे 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 17-01-2020 को ऋणी /अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध मे प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बावजुद नोटिस तामील उपस्थित नही हुए। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। श्री अरुण कुमार व्यास (ऋणी व बंधककर्ता) दिनांक 25.09.2020 दिनांक 16.10.2020 को उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 06.11.2020 को जवाब प्रस्तुत नही करने तथा अनुपस्थित रहने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं.1 को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी ऋण राशि जमा नही करवाई है एवं न ही प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.12.2020 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस बताया गया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरुप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., पंजीकृत कार्यालय, तिलक नगर जयपुर (राज.) को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे की आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.22 17:17:29 IST
Reason: SelfAttested